फर्द अहकाम

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा**

ललिता कंवर बनाम राज0 सरकार

किस्म मुकदमा–136 एल.आर.ए. मु0नं0– ~~89 / 2025~~ 13/2026

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30/1/26	पत्रावली प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अ0धा0 136 एल.आर.ए. पेश किया गया। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थीया संख्या 1 के पति व प्रार्थी संख्या 2 के पिता की मृत्यू अर्सा करीब 33 वर्ष पूर्व हो गई थी प्रार्थीया संख्या 1 के पांच पुत्र जितेन्द्रसिंह, बलवीरसिंह, व विजेन्द्रसिंह, भागेन्द्रसिंह, महेन्द्रसिंह थे वे सभी नाबालिग थे, ग्राम मोरोली के खाता संख्या वर्तमान 56 पुराना 63, खाता संख्या 57 पुराना 64 में प्रार्थीया संख्या 1 का नाम सुदामा कंवर पत्नी स्व0 भगवानसिंह तथा उसके पांचो पुत्रों के आगे सरंक्षक सरपरस्त माता खुद सुदामा कंवर दर्ज कर दिया जो गलत दर्ज किया है जबकि उसके समस्त सरकारी दस्तावेजात में नाम ललिता कंवर है। तथा उसके सभी पुत्र नाबालिग है जबकि उसके पुत्र बालिग हो चुके है इसलिए हजफ फरमाया जावे। तथा खाता संख्या वर्तमान 56 पुराना 63, खाता संख्या 57 पुराना 64 प्रार्थी संख्या 2 का नाम बलवानसिंह पुत्र भगवानसिंह सरंक्षक सरपरस्त माता सुदामा कंवर दर्ज कर रखा है तथा खाता संख्या 131 पुराना 131 में प्रार्थी संख्या 2 का नाम बलवंतसिंह पुत्र भगवानसिंह दर्ज कर रखा है जो कि गलत है उसके सभी दस्तावेजात में सही नाम बलवीरसिंह है जो कि सही है इसलिए उक्तानुसार शुद्धि की जावे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर किया गया एवं प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। प्रार्थीया के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया, प्रार्थीया संख्या 1 का सभी दस्तावेजात में नाम ललिता कंवर है एवं प्रार्थी संख्या 2 का नाम बलवीरसिंह है जबकि राजस्व रिकॉर्ड में नाम गलत दर्ज किया गया है तथा प्रकरण में संलग्न पटवारी हल्का रिपोर्ट में भी अंकित किया है कि मौके पर सुदामा कंवर पत्नी भगवानसिंह एवं ललित कंवर पत्नी भगवानसिंह दोनों एक ही व्यक्ति है तथा बलवान/बलवन्त पुत्र भगवानसिंह का सही नाम बलवीर सिंह होना बताया है इसलिए दस्तावेजात में दर्ज नाम अनुसार शुद्धि किया जाना उचित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विवादित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीया संख्या 1 का सही नाम ललिता कंवर तथा प्रार्थी संख्या 2 का सही नाम बलवीर सिंह दर्ज करें। तथा नाबालिग नोट को हजफ किया जावे। तहसीलदार उपरोक्तानुसार पालना किया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा